

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 206938120123022709

Date : 12-01-2023

प्रभावी : चतुर्थ तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री LILA DEVI C/O CHANDRAKET SINGH,
मोहल्ला BHELATAND DHANBAD DHANBAD
DHANBAD, 826001
9835569303

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं- 022000464800DM0 वार्ड सं- 22 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर
वार्षिक किराया मूल्य 0/- ₹ निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

| स्व-निर्धारित कर की सूचना | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| क्रम सं० | Particulars | Amount (In Rs.) |
| 1. | गृह कर | 150.00 |
| 2. | जल कर | 0.00 |
| 3. | शौचालय कर | 0.00 |
| 4. | बिजली कर | 0.00 |
| 5. | अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण) | 0.00 |
| कुल राशि (प्रति तिमाही) | | 150.00 |

To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडीका 11.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिटायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियाजत दी जाएगी।
- किसी देय पूति को निर्दिष्ट सम्पादावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की रचनीय जांच तथा समय-समय पर निगम द्वारा की जाती है एवं कानून के अनुसार निगम द्वारा करदाता को सूचित किया जाएगा।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/बाधों को कोई कानूनी हस्तक्षेप प्रदान नहीं करता है और न ही इससे कोई भी कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

Lila Devi